

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म0प्र0)

आ0प्र0क्रमांक—623 / 2014
संस्थित दिनांक—03.07.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
तहसील—बैहर, जिला—बालाघाट (म0प्र0)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1—खिलाराम उइके पिता नैनसिंह उइके, उम्र—25 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी—ग्राम बिठली, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—आशीष मरावी पिता नारायण सिंह मरावी, उम्र—23 वर्ष,
निवासी—ग्राम नेवरगांव, थाना बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक—26 / 05 / 15 को घोषित)

1— आरोपी खिलाराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—3 / 181, 146 / 196, 39 / 192 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—16.02.14 को 07:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत दीपकुमार के पान ठेले के सामने मेन रोड बैहर, लोकमार्ग पर वाहन सी.डी. डीलक्स क्रमांक—एम.पी. 50 / एम. ई—7448 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत भोलाराम को पीछे से ठोस मारकर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के, बिना बीमा व बिना रजिस्ट्रेशन के उक्त वाहन को चलाया एवं आरोपी आशीष के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—5 / 180, 39 / 192, 146 / 196 के तहत आरोप है कि उसने उक्त वाहन का स्वामी होते हुए उसे बिना रजिस्ट्रेशन, बिना बीमा व बिना वैध अनुज्ञप्ति धारी व्यक्ति से वाहन चलवाया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि सहायक उपनिरीक्षक एल.के. भिमटे द्वारा दिनांक-16.02.14 से दिनांक-18.02.14 को डॉ. चतुर्वेदी सी.एच.सी बैहर की अस्पताल तहरीर की जांच करने पर पाया कि दिनांक-16.02.14 को 07:30 बजे आहत भोलाराम नागेश्वर दीपकुमार के पान ठेला से पान खाकर पैदल अपने घर जा रहा था कि कम्पाउण्डर टोला तरफ से बैहर के तरफ जा रहे एक मोटरसाईकिल सी.डी. डीलक्स हीरोहोण्डा क्रमांक-एम.पी. 50/एम.ई-7448 के चालक खिल्लू उइके निवासी बिठली ने अपनी मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पीछे से ठोस मार दिया जिससे उसे चोटें आई थी। अस्पताल तहरीर की जांच उपरांत अपराध धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-184 का पाए जाने पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक-36/14, धारा- 279, 337 भा.द.वि. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-184 के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लखेबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत भोलाराम का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये, वाहन जप्त कर, विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय रिपोर्ट में आहत भोलाराम को फ्रेक्चर होने से आरोपी खिलाराम के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. एवं उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के, बिना बीमा के चलाये जाने से मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 एवं आरोपी आशीष मरावी द्वारा उक्त वाहन का स्वामी होते हुए बिना लायसेंस वाले को वाहन चलाने को देने से, वाहन का बीमा न होने से एवं वाहन का रजिस्ट्रेशन न होने से धारा-5/180, 146/196 एवं 39/192-1 क मोटरयान अधिनियम की धारा बढ़ाई गई। आरोपी खिलाराम को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी खिलाराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 39/192 तथा आरोपी आशीष मरावी को मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 39/192, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत भोलाराम ने आरोपी खिलाराम से राजीनामा कर लिया है, जिस कारण आरोपी खिलाराम के विरुद्ध धारा-338

भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा-279 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 39/192 का विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण की ओर से प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी खिलाराम ने दिनांक-16.02.14 को 07:30 बजे थाना बैहर अंतर्गत दीपकुमार के पान ठेले के सामने मेन रोड बैहर, लोकमार्ग पर वाहन सी. डी. डीलक्स क्रमांक-एम.पी. 50/एम.ई-7448 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी खिलाराम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के, बिना बीमा व बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया ?
3. क्या आरोपी आशीष ने उक्त घटना के समय उपरोक्त वाहन का स्वामी होते हुए उसे बिना रजिस्ट्रेशन, बिना बीमा व बिना वैध अनुज्ञप्ति धारी व्यक्ति से वाहन चलवाया ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत भोलाराम नागेश्वर (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह हाजिर आरोपीगण को पहचानता है। घटना पिछले वर्ष शाम के लगभग 7:00-7:30 बजे नरसिंहटोला बैहर की बात है। घटना दिनांक को जब वह पान ठेले से वापस अपने घर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी थी। मोटरसाइकिल कौन चला रहा था, वह नहीं देख पाया था, क्योंकि वह टक्कर लगने के उपरान्त बेहोश हो गया था। उक्त दुर्घटना में उसे सिर और हाथ में चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता।

6- उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह अस्वीकार किया कि आरोपी खिलाराम के द्वारा मोटरसाइकिल को

उपेक्षापूर्वक चलाकर उसे टक्कर मारी गई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस कथन से इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में जिस मोटरसाइकिल से उसे टक्कर मारा गया था, उसका क्रमांक-एम.पी.50 एम.ई-7448 होना बताया था। साक्षी ने इस यह अस्वीकार किया कि राजीनामा होने के कारण वह उक्त मोटरसाइकिल का नंबर और आरोपी खिलाराम की गलती के संबंध में आज न्यायालय समक्ष सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-1 के कथन में मोटरसाइकिल का नंबर एम.पी.50 एम.ई-7448 होना बताया था। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

7- दीपकुमार यादव (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आहत भोलाराम को जानता है। वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना आज से लगभग पॉच-छः माह पूर्व की शाम के लगभग 7:40 बजे उसकी पान की दुकान से थोड़े आगे की है। एक्सीडेन्ट की आवाज आने पर वह अपने घर से निकलकर घटनास्थल पर गया तो भोलाराम और मोटरसाइकिल में सवार दो लोग गिरे-पड़े थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा था। उसके समक्ष पुलिस ने मोटरसाइकिल जप्त नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 अनुसार एक मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी-50-एम. ई-7448 क्षतिग्रस्त हालत में जप्त की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे घटनास्थल की पूछताछ की एवं प्रदर्श पी-3 का नजरीनक्शा बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह आरोपीगण से मिल गया है, इसलिए न्यायालय समक्ष सही बात नहीं बता रहा है।

8— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर अंधेरा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना कैसे घटी, वाहन कौन चला रहा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी लखन भिमटे (अ.सा.2) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-18.02.14 को पुलिस थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल बैहर की अस्पताल तहरीर प्राप्त हुई थी। उक्त तहरीर की जांच उपरान्त उसके द्वारा प्रदर्श पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक-36/14, धारा-279, 337 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत का मुलाहिजा शासकीय अस्पताल बैहर में कराया था। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-18.02.14 को घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-3 दीपकुमार की निशानदेही पर तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही दीपकुमार, आशीष के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-18.02.14 को घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष एक मोटरसाईकल क्षतिग्रस्त हालत में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-22.04.14 को आहत भोलाराम के कथन उसके बताए अनुसार लेख किया था। आरोपी खिलाराम को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मोटरयान अधिनियम की धारा-133 के तहत वाहन मालिक आशीष मरावी को नोटिस दिया गया था, जिसमें घटना दिनांक को वाहन किसके द्वारा उपयोग में लाया गया था की बात पूछी गई थी। जिसके पश्चात् आरोपी खिलाराम को धारा-133 का नोटिस दिया था, जिनका जवाब प्राप्त कर चालान के साथ संलग्न किया था। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल मुलाहिजा कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। विवेचना के दौरान आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होना एवं वाहन का बीमा न होने पर 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम एवं आरोपी आशीष जो वाहन

मालिक था बिना लायसेंस वाले को वाहन चलाने को देने से, वाहन का बीमा न होने से एवं वाहन का रजिस्ट्रेशन न होने से धारा-5/180, 146/196 एवं 39/192-1 क मोटरयान अधिनियम की धारा बढ़ाई गई। साक्षी ने प्रकरण में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण साक्षी आहत भोलाराम (अ.सा.1), साक्षी दीपकुमार (अ.सा.3) के रूप में पेश किया गया है, उन्होंने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन चलाए जाने का समर्थन नहीं किया है। मामले में अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चलाया जा रहा था। इस प्रकार मामलों में आरोपी के द्वारा कथित वाहन चलाये जाने का तथ्य ही प्रमाणित नहीं है। उक्त साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में दुर्घटना में आरोपी की गलती होने से भी इंकार किया है।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य व जप्ती की कार्यवाही से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी के द्वारा कथित वाहन का चालन बिना अनुज्ञप्ति के किया जा रहा था। वास्तव में आरोपी खिलाराम के द्वारा घटना के समय कथित वाहन चलाया जाना प्रमाणित न होने से उसके द्वारा कथित वाहन को बिना अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराए चलाया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। जप्ती अधिकारी के द्वारा जप्तशुदा वाहन मय रजिस्ट्रेशन के जप्त किया जाना प्रकट नहीं किया गया है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 में घटना दिनांक को कथित वाहन का रजिस्ट्रेशन एम.पी-50 एम.ई-7448 लेख किया गया है। ऐसी दशा में यह प्रकट होता है कि उक्त वाहन पंजीकृत था। उक्त कारण से वाहन मालिक आरोपी आशीष के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेहास्पद हो जाता है। आरोपी आशीष के विरुद्ध भी अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

12— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी खिलाराम ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन सी.डी. डीलक्स क्रमांक-एम.पी. 50/एम.ई-7448 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत भोलाराम को पीछे से ठोस मारकर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के, बिना बीमा व बिना रजिस्ट्रेशन के उक्त वाहन को चलाया। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी आशीष ने उक्त वाहन का स्वामी होते हुए उसे बिना रजिस्ट्रेशन, बिना बीमा व बिना वैध अनुज्ञप्ति धारी व्यक्ति से वाहन चलवाया। अतएव आरोपी खिलाराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 39/192 तथा आरोपी आशीष मरावी को मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 39/192, 146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन सी.डी. डीलक्स क्रमांक-एम.पी-50 एम. ई/7448 मय दस्तावेज सहित रजिस्टर्ड स्वामी आशीष मरावी पिता नारायण सिंह, जाति गोंड, निवासी ग्राम नेवरगांव, थाना बैहर, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट